राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/398

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पशी दिनांक
1	2	3	4	5
183 रा.का.	127/2024	15/7/2024		31.7.2024
दावा	127/24	15/7/24	21/1/25	31/7/24 12/8/24 27/8/24 23/9/24 1/10/24 28/10/24 13/11/24 20/11/24 26/11/24 12/12/24 15/1/25 निर्णय → 21/1/25

अनवान

श्री कैलाश पुत्र शंकर नाई श्री सिंगा पुत्र देवा बलाई

निवासी आरोली निवासी रसेदपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री Ex-Parte

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

केशव नाई बनाम सिंगा बंजारा

किस्म मुकदमा ~~127~~/202 183 एस.ए नम्बर 127 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.7.2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/07/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
31/7/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी सिंगा उपस्थित। प्रतिवादी ने बताया कि वह किसी प्रकार की कार्यवाही (objection) नहीं करना चाहता है। प्रतिवादी ने किसी अधिवक्ता को भी अपनी तरफ से पेश नहीं किया। विपक्षी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 12/8/24 को पेश हो	सिंगा
12/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 27/8/24 को पेश हो	
27/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो	
23/9/24	पत्रावली ... के वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 1/10/24 को वास्ते ता. आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 28/10/24 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

... वादी/प्रतिवादी ...
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 13/11/24 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी द्वारा सत्यनारायण व बाबूलाल के बयान लेखबद्ध करवाए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते और साक्ष्यवादी अवसर आगामी दिनांक २०/11/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई वादी और साक्ष्य नहीं दे चाहते है। पत्रावली में साक्ष्यवादी बंद की जाती। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी २6/11/24 पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 12/12/24 को वास्ते बहस/निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 15/1/25 को वास्ते बहस/निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई पत्रावली में एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दि. २1/1/25 को पेश हो।

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अदालत न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

कैलाश .... बनाम .... रतिया

किस्म मुकदमा धारा 183 RTA प्रकरण संख्या 127

GCMS नम्बर:– 2024/398

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया, एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 127 / 2024 दायर तारीख 15.07.2024

अनवान

1. कैलाश पुत्र शंकर जाति नाई उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
2. सत्तु पुत्र शंकर जाति नाई उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
3. सन्तोष पुत्री शंकर पत्नि कन्हैयालाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा हाल निवासी पीपल्या, (मानपुरा) तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

........वादीगण

बनाम

1. सिमा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

........प्रतिवादी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : २१/०१/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश धाकड़ वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की कृषि भूमि ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली भू.अ.नि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 30 में अंकित खसरे 1131 / 278 क्षेत्रफल 0.8094 कुल खसरा 01 कुल क्षेत्रफल 0.8094 क्षेत्रफल किस्म बंजड़ भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम पर दर्ज हैं। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि न तो प्रतिवादीगण एवं न ही अन्य को विक्रय कर उसका कब्जा दिया हैं। प्रतिवादी द्वारा शनैः–शनैः जबरन वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के 0.0732 हैक्टेयर भाग पर कब्जा कर लिया था तो वादीगण द्वारा प्रतिवादी अतिक्रमी से कब्जा छोड़ने हेतु कहा तो प्रतिवादी अतिक्रमी द्वारा कहा गया कि तुम तुम्हारी जमीन की पत्थरगढी करवा लो तो वादीगण द्वारा उसकी जमीन की पत्थरगढी दिनांक 18.06.2022 को करवा ली तो तथ्य की जानकारी हुई की वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1131 / 278 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर में से पूर्वी–दक्षिणी मेड़ पर क्षेत्रफल **0.0732 हैक्टेयर** भूमि पर प्रतिवादी ने नाजायज कब्जा कर रखा है। वादीगण ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने को कहा तो वह तैयार नहीं हुआ और कब्जा भी नहीं सौंपा एवं लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा हो गया एवं पत्थरगढ़ी के जो मुटाम लगाये गय उनको भी प्रतिवादी ने उखाड़ दिया । इस कारण वादीगण को प्रतिवादी को अपनी भूमि से बेदखल करने हेतु न्यायालय में श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रतिवादी का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा स्वामित्व नहीं होते हुए भी प्रतिवादी ने पत्थरगढ़ी करवाने के बाद भी जबरन वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा हैं एवं पटवार हल्का द्वारा लगाये पत्थरगढ़ी के मुस्तकील मुटाम को भी उखाड़ कर फेंक दिया हैं एवं वर्तमान में प्रतिवादी ने जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर रखा है जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी का किसी प्रकार का हक हिस्सा व स्वामित्व निहित नहीं है प्रतिवादी के अवैध कृत्य की वजह से वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से एवं भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम होना पड़ रहा है वादीगण प्रतिवादी से वापस कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।वादीगण को वाद हेतुक पत्थरगढ़ी कराये जाने की दिनांक 22.06.2022 से उत्पन्न होकर वादीगण द्वारा प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि से अवैध कब्जा छोड़ने की कहने एवं प्रतिवादी द्वारा कब्जा छोड़ने से इन्कार होने से वाद कारण उत्पन्न हो सतत् रूप से जारी है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

दीगण अनुतोष चाहते है कि वादीगण की ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियां की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/278 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर में से 0.0732 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरमायी जावें।

वादपत्र दिनांक 15.07.2024 दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पेशी पर प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हुआ और उसने बताया की वह कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है। उसे किसी प्रकार का इतराज नहीं है। वह दावे में किसी प्रकार को कोई जवाब पेश नहीं करना चाहता है ना कि किसी अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहता है। प्रतिवादी ने पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। पत्रावली को साक्ष्यवादी पर रखा गया जिसमें वादी सत्तु उर्फ सत्यनारायण एवं वादी की और से बाबुलाल ने बयान लेखबद्ध करवाऐं दोनों बयानों में बताया गया कि प्रतिवादी ने हमारी आराजी 1131/278 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से 0.0732 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है एवं प्रतिवादी को कब्जा छोड़ने के लिए बोलते हैं तो वह मना कर देता है। हमने हमारी आराजी की पत्थरगढ़ी 10.06.2022 को करवाई जिसमें भी प्रतिवादी द्वारा 0.0732 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा होना पाया गया। पत्थरगढी का मौका पर्चा पत्रावली के साथ संलग्न है। साक्ष्यवादी के बाद वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी ने वादीगण के उक्त आराजी के 0.8094 हैक्टेयर में से 0.0732 हैक्टेयर पर कब्जा कर रखा है। अधिवक्ता ने दावे के साथ नकल जमाबंदी आराजी नम्बर 1131/278 ग्राम आरोली संवत् 2073–2076 एवं मौका पच्र्चा की प्रमाणित प्रति पेश कि जो संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता मुकेश धाकड की बहस पर मनन किया। साथ में संलग्न मौका पर्चा का अध्ययन किया जिसमें जाहिर होता है कि विपक्षी सिंगा ने आराजी 1138/278 के पूर्वी –दक्षिणी मेड़ पर 0.0732 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा कर रखा है। विपक्षी सिंगा ने भी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर कब्जा छोड़ने के लिए सहमति दी एवं दावे पर किसी भी प्रकार का इतराज नहीं किया। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** कर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री करने के आदेश दिये जाते **हैं कि ग्राम आरोली** पटवार हल्का आरोली भू.अ.नि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 30 में अंकित खसरे 1131/278 क्षेत्रफल 0.8094 कुल खसरा 01 कुल क्षेत्रफल 0.8094 क्षेत्रफल किस्म बंजड़ भूमि में से **0.0732** हैक्टेयर भूमि जिस पर विपक्षी सिंगा का कब्जा है उस पर से सिंगा पुत्र देवा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक २१/०१/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा